इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 10 मई 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------1
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा विनिमय----------4
सूक्ष्मवित्त -- ----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------5
नयी नियुक्तियां----------5
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
आईआईबीएफ की गतिविधियां----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्त्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्त्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

1 अप्रैल से चेक भुगतान मंहगे हुए

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को उनके समाशोधन, विशेषत: अधिक मूल्य और बाहरी केन्द्रों वाले चेकों के मामले में अपेक्षाकृत अधिक सेवा प्रभार वसूल करने की अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप चेकों के माध्यम से भुगतान मंहगे हो सकते हैं। अब 1 अप्रैल 2011 से बैंक 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले चेकों के द्रुत समाशोधन पर सेवा प्रभार नियत करने हेतु स्वतंत्र हैं। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले चेकों के द्रुत समाशोधन हेतु प्रति चेक 150 रुपये से अधिक सेवा प्रभार लगाने की अनुमति नहीं देता है। 1 लाख रुपये तक के मूल्य वाले चेकों के द्रुत समाशोधन को किसी भी प्रकार के सेवा प्रभार से छूट मिलनी जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 1 लाख रुपये से अधिक वाले बाहरी केन्द्र के चेकों पर वर्तमान में अनुमत प्रति चेक 150 रुपये की अधिकतम सीमा के स्थान पर सेवा प्रभार के बारे में निर्णय लेने की भी अनुमति प्रदान की है। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5,000 रुपये तक के बाहरी केन्द्र के चेकों पर 50 रुपये के स्थान पर 25 रुपये वसूल किए जाने की अनुमति दे कर सेवा प्रभार को कम करने का निर्णय लिया है।

आईडीबीआई 'सफेद लैबल वाले' एटीमों से सम्बन्धित मुद्दे को भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष उठाएगा

आईडीबीआई बैंक देश में किसी बैंक के साथ गंठजोड़ व्यवस्था रहित 'सफेद लैबल वाले एटीएमों' - का संचालन करने हेतु निजी एटीएम सेवा-प्रदाताओं के साथ भागीदारी में एक अलग पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। बैंक इस योजना के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से शीघ्र ही संपर्क करने वाला है। किसी भी बैंक के ग्राहक 'सफेद लैबल वाले एटीएमों' से धनराशि जमा अथवा आहरित कर सकते हैं। तदुपरांत उनके बैंक इस सेवा के लिए भुगतान करते हैं। इसके अलावा, ऐसे एटीएम अनिवार्य रूप से किसी अन्य पक्ष द्वारा स्वाधिकृत होते हैं, किसी बैंक द्वारा नहीं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

रैबोबैंक को भारत में शाखा खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति

नीदरलैंड स्थित रैबोबैंक को भारत में शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। बैंक अपनी पहली शाखा मुंबई में खोलेगा। बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हो जाने के परिणामस्वरूप रैबोबैंक जमाराशियां स्वीकार कर सकेगा तथा ग्राहकों को कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान कर सकेगा। वह विदेशी मुद्रा विनिमय, घरेलू नियत आय उत्पादों एवं व्यापार वित्त से सम्बन्धित क्रियाकलाप भी कर सकेगा। बैंकिंग व्यवसाय में रैबोबैंक का पदार्पण ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति - चाहे वह पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी के माध्यम से हो या फिर शाखा मार्ग से हो, के मानदंडों को अंतिम रूप दे रहा है।

नियंत्रक कम्पनी के प्रवर्तन की रूपरेखा शीघ्र ही

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए नियंत्रक कम्पनी की शुरूआत करने की रूपरेखा शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। यह रूपरेखा सहायक कम्पनियों के लिए निधियां सृजित करने में वित्त क्षेत्र में समूहों की सहायता करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता वाले एक कार्य दल ने इस विषय पर विचार-विमर्श दस्तावेजों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है तथा इसे सार्वजनिक अभ्युक्तियों के लिए शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। नियंत्रक कम्पनी का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा तथा इसके लागू कर दिए जाने पर बैंकिंग क्षेत्र की नयी और पुरानी सहित -सभी संस्थाएं नियंत्रक कम्पनी के ढांचे वाले मॉडेल को अपनाएंगी। किसी नियंत्रक कम्पनी में उसकी सहायक कम्पनी के रूप में सामान्यतया किसी बैंक, □ीवन बीमा तथा परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी का समावेश हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 63 दिवसीय नकदी लिखत की शुरूआत की

19 अप्रैल, 2011 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित रकम के लिए भारत सरकार के 63 दिवसीय नकदी प्रबन्धन बिल के रूप में एक नये लिखत की नीलामी का आयोजन किया। इस नीलामी का आयोजन बहुविध मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया। नकदी प्रबन्धन बिलों की चुकौती 22 जून, 2011 को सममूल्य पर की जाएगी। नकदी प्रबन्धन बिलों के रूप में ज्ञात यह नया लिखत 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधियों के लिए जारी गैर-मानक, बट्टाकृत लिखत है। प्रस्तावित नकदी प्रबन्धन बिलों की अवधि, अधिसूचित रकम और निर्गम तिथि सरकार की अस्थायी नकदी आवश्यकता पर आधारित होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से गिरावट के दौर में अनर्जक आस्तियों को सुरक्षित करने हेतु विशेष सुरक्षित भण्डार सृजित करने के लिए कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से प्रणाली में गिरावट के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु उपयोग में लाए जाने के लिए विशेष सुरक्षित भण्डार सृजित करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह चाहता है कि सितम्बर, 2010 के दिन सकल अनर्जक आस्तियों के लिए निर्धारित 70% के व्याप्ति अनुपात के प्रावधान (PCR) का पालन किए जाने के बाद उपलब्ध होने वाले किसी भी अधिशेष में से "प्रति चक्रीय प्रावधानीकरण सुरक्षित भण्डार" कहे जाने वाले समयोपयोगी भण्डार का सृजन किया जाए। व्याप्ति अनुपात का प्रावधान सकल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण का अनुपात है तथा यह उन निधियों की सीमा का संकेत करता है जिन्हें किसी बैंक ने ऋणगत हानियों को सुरक्षित करने हेतु अलग रख छोड़ा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से गृह ऋणों पर 1% की आर्थिक सहायता कार्यान्वित करने हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बजट में घोषित 15 लाख रुपये तक आवास ऋणों पर 1% की ब्याजगत आर्थिक सहायता को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करने का निदेश दिया है। कम मूल्य वाले आवासों की मांग बढ़ाने में सहायता करने के लिए वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 15 लाख रुपये तक के ऐसे आवास ऋणों पर, जिनमें मकान की कीमत 25 लाख रुपये से अधिक न हो, 1% तक के ब्या□गत अनुदान की विद्यमान योजना को उदारीकृत किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन दिशानिर्देशों को तत्काल कार्यान्वित कर दिया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बासेल- II के लिए तैयारी का मूल्यांकन करने हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल - II के तहत परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार का परिकलन करने हेतु उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में प्रस्थान करने के इच्छुक बैंकों से नये दृष्टिकोण को अपनाने के प्रति उनकी तैयारी का आकलन करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि बैंक अप्रैल 2012 और उसके बाद से उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में प्रस्थान करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक अनुमोदन प्रदान करने के पूर्व बैंकों की जोखिम प्रबन्धन प्रणाली एवं प्रस्तावित मॉडेल का विस्तृत विश्लेषण करेगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

फरवरी में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक ऋण में वृद्धि

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को बैंक ऋणों में अत्यधिक वृद्धि होती दिखाई देती है। फरवरी, 2011 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को वर्षानुवर्ष आधार पर हुई ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के दौरान हुई 19.8% की वृद्धि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। स्वर्ण ऋणों, वाणिज्यिक वाहनों और आवास जैसे खण्डों में परिचालनरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां व्यवसाय बढ़ाने के लिए बैंकों का भारी पैमाने पर उपयोग कर रही हैं - इसीलिए ऋण में विस्मयकारी वृद्धि हुई है।

गृह ऋण धोखाधड़ियों को रोकने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री कार्यशील हुई

सरकार द्वारा परिचालित केन्द्रीय रजिस्ट्री, जो विभिन्न बैंकों से उसी अचल सम्पत्ति पर कई एक उधारों से सम्बन्धित ऋण के मामलों में धोखाधड़ियों को रोकने मे ं सहायता करेगी, ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर. वी. वर्मा को तीन माह के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के बजट में इस प्रकार की रजिस्ट्री के सृजन की घोषणा की थी। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय रजिस्ट्री के परिचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंसीकृत भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केन्द्रीय रजिस्ट्री नामक एक सरकारी कम्पनी का गठन किया गया है।

गृह ऋणों की मांग सुस्त

बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों को गृह ऋणों की मांग में सुस्ती का अनुभव हो रहा है। सम्पत्ति के अधिक मूल्यों में कमी आने की आशा कर रहे संभावित खरीदार निवेश करने के अपने निर्णय को स्थगित रख रहे हैं। क्रमिक रूप से बढ़ती ब्याज दरें भी मांग अवमंदक के रूप में काम कर रही हैं। यह सुस्ती मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों, जहां सम्पत्ति के मूल्य अयर्थावादी शिखर पर पहुंच गए हैं, में अधिक दिखाई देती है। खुदरा वित्त के कार्यपालक उपाध्यक्ष (EVP) एवं प्रधान एडेलवीस ने कहा है कि "पिछले तीन महीनों से गृह ऋणों की मांग में गिरावट आ गई है। यद्यपि सम्पत्ति के मूल्यों में हुई बेलगाम वृद्धि ने दम लिया है, उसमे गिरावट नहीं आई है। इसलिए गृह खरीदार संभवत: यह महसूस करते हैं कि छलांग लगाने की अपेक्षा इंतजार कर लेना अच्छा है।"

नकदी आहरण मुख्यतया एटीएमों से ही होते हैं

शाखा-स्थित बैंकिंग के एक वैकल्पिक चैनल के रूप में एटीएमों ने काफी सफलता अर्जित कर ली है। भारतीय बैंक संघ (IBA) के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि "वर्तमान में आहरणों के मामले में लगभग 70-80% वैयक्तिक लेनदेन एटीएमों द्वारा संचालित होते हैं।" अलग-अलग बैंकों में भी यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबन्ध निदेशक का कहना है कि "खुदरा

ग्राहक अब आहरण के लिए शाखा में कभी-कभार ही आते हैं। हमारे बैंक में 87-90% आहरण एटीएमों के माध्यम से होते हैं।"

अधिशेष चलनिधि रखने वाले बैंकों ने 31,000 करोड़ रुपये भारतीय रिज़र्व बैंक में रखे

नये वित्तीय वर्ष 2011-12 की शुरूआत में प्रणाली के चलनिधि परिदृश्य में कुछेक मूलभूत सुधार परिलक्षित हुए हैं। लगभग 1 वर्ष से अधिक की अवधि में पहली बार बैंकों ने 31,000 करोड़ रुपये की अधिशेष नकदी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पुनर्खरीद खिड़की में जमा कर रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद खिड़की बैंकों को 5.75% ब्याज का भुगतान करती है। जमा प्रमाण पत्रों (CDs) की दरों में भी कमी आ गई है। 1 वर्षीय जमा प्रमाण पत्र लगभग 30 आधार अंक (bps) घट कर 9.70% से 9.40% पर आ गया। मार्च के अंत तक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद खिड़की से निरंतर रूप से उधार लेते आ रहे थे, जो 50,000 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये के बीच रही है। अतीत में बैंकों ने अपने संसाधन उच्च लागत वाली जमाराशियों और जमा प्रमाण पत्रों से जुटाए थे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का बैंकिंग में प्रवेश सरल नहीं, क्योंकि वित्त मंत्रालय अपेक्षाकृत कठोर मानदंडों की तलाश में

वित्त मांत्रालय ने बैंकों में परिवर्तित होने अथवा बैंकों का प्रवर्तन करने की इच्छुक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए अपेक्षाकृत कठोर मानदंडों की मांग की है। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि केवल ऐसी ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकों के रूप में रूपांतरित होने या नये बैंक प्रवर्तित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिनके तुलन पत्र का आकार 10,000 करोड़ रुपये तथा सकल अनर्जक आस्तियां 5% से कम हों। रिपोर्टों से यह पता चलता है कि शीर्ष निकाय केवल ऐसी ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को अनुमति देना चाहते हैं जिनका पूंजी आधार सुदृढ़ हो तथा परिचालन सहज हो, ताकि वे इस प्रक्रिया में सहभागिता कर सकें।

बैंकों ने निधियों की तलाश में अल्प प्रयुक्त राह अपनाई

अपने तुलन पत्र में 14-15% अपतटीय अंश रखने वाले भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने निवेशक एवं उधारदाता आधार को विविधीकृत करने के लिए धन जुटाने हेतु गैर-पारंपरिक बाज़ारों को तलाश जा रहा है। जी 3 के अलावा स्विटजरलैंड और यहां तक कि ताइवान जैसे बाज़ारों से अंतरराष्ट्रीय बॉण्डों के माध्यम से धन जुटाने की ताक में रहने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की संख्या में वर्षानुवर्ष वृद्धि होती जा रही है। अपतटीय शाखाएं रखने वाले 14-15 भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से इस वर्ष सात बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय बॉण्ड वाला मार्ग अपनाया है, जबकि तीन ने जी 3 के बाहर वाले बाज़ारों का उपयोग किया है।

वर्ष 2010-11 में बैंक ऋण 21.4% बढ़े, जमाराशियां 15.8% बढ़ीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ऋणों में 21.38% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि जमाराशियों की वृद्धि 15.84 % रही। जहां ऋण वृद्धि वर्ष 2010 में 20% के भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों से अधिक रही, वहीं जमा वृद्धि 18% के अनुमान से कम थी। वर्ष 2009-10 में जमा वृद्धि 17% थी, जबकि ऋण में वृद्धि 16% थी। ऋणों में दर्ज वृद्धि पिछले पखवाड़े, जिसमें ऋण वृद्धि 23.20% थी, की तुलना में 25 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंतिम पखवाड़े में तीव्र गति से हुई। 25 मार्च को समाप्त पखवाड़े में बैंकों ने 82,593 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण संवितरित किए। इस पखवाड़े में जमाराशियां 64,333 करोड़ रुपये बढ़ीं।

4थी तिमाही में बैंक जमाराशियों में भारी वृद्धि

वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अपने तुलन पत्रों को भारी-भरकम बनाने की मुहिम में बैंक 4थी तिमाही में ऋण बढ़ाने के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतने के बावजूद जमाराशियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए दिखे। 4 थी तिमाही में बैंक जमाराशियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2,22,034 करोड़ रुपये की तुलना में 2,33,312 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि दर्ज हुई।

भारतीय स्टेट बैंक समेकन अभियान जारी रखेगा

बैंकिंग महारथी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) स्टेट बैंक समूह के भीतर समेकन अभियान को जारी रखने की मन:स्थिति में है। इस वित्तीय वर्ष में वह उसके द्वारा पूर्णत: स्वाधिकृत एक सहयोगी बैंक को विलयित करने के उपाय आरंभ करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी द्वारा यथा वर्णित ऐसे सहयोगी बैंकों को समेकित करने को तरजीह दी जाएगी, जिसमे भारतीय स्टेट बैंक 100% नियंत्रण रखता हो। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, दोनों ही भारतीय स्टेट बैंक के 100% स्वामित्वाधीन श्रेणी में आते हैं।

कृषि उधार में तेजी

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से आग्रह किया है कि वे कृषि ऋण बढ़ाएं तथा उन्होंने वित्तीय समावेशन के मोर्चे पर उनकी प्रगति की समीक्षा की है। सरकार ने 31 दिसम्बर, 2010 तक के बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है तथा शिक्षा ऋण, वित्तीय समावेशन और कृषि ऋण एवं मानव संसाधनों सहित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है।

25 पैसे और उससे कम वाले सिक्के - प्रचलन से वापसी

भारत सरकार ने 30 जून, 2011 से 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग वाले सिक्कों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे सिक्कों का भण्डार रखने वाले बैंकों को उनकी शाखाओं में 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग वाले सिक्कों के उनके अंकित मूल्य पर विनिमय

की व्यवस्था करने का अनुदेश दिया है। 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग वाले सिक्के विनिमय के लिए बैंक शाखाओं में 1 जुलाई 2011 और उसके बाद स्वीकार किए जाएंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से सूचना प्रौद्योगिकी डाटा संरक्षित करने हेतु समिति गठित करने हेतु कहा

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर अपराधों की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से सूचना सुरक्षा प्रबन्धन पर अनन्य रूप से ध्यान देने के लिए समितिया गठित करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्य दल ने कहा है, "मुद्रा के भौतिक रूप में या फिर बिटों एवं बाइटों में प्रबन्धक के रूप में बैंकों के लिए विश्वसनीय सूचना वैसे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है और इसलिए सूचना सुरक्षा चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।" ये सिफारिशे सूचना सुरक्षा, ई-बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबन्धन और साइबर धोखाधड़ियों से सम्बन्धित हैं। डाटा और अन्य सूचनाएं बैंकिंग परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण आस्तियां होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे मूलभूत सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक ढांचे का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे तथा आधारभूत संरचनात्मक या प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों एवं ऐसी नीतियों एवं कार्यविधियों को 31 अक्तूबर, 2011 तक लागू करें जिनके लिए व्यापक बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उसने कहा है कि : शेष दिशानिर्देशों को जब तक कि एक अपेक्षाकृत दीर्घकालिक समय-सीमा नहीं निर्धारित की जाती, एक वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना आवश्यक होगा।

भारतीय रिज्ड़र्व बैंक ने बैंकों से लागतों में कमी और सेवा में सुधार लाने के लिए कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2011-17 के लिए अपने सूचना प्रौद्योगिकी दर्शन (vision) प्रलेख में बैंकों से लागतों मे कमी लाने और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित रखते हुए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए विजन प्रलेख में बैंकों को अल्प मूल्य वाले लेनदेनों में लागतपरक कार्यकुशलता, उन्नत ग्राहक सेवा और बैंकों तथा विनियामक के बीच सूचना के प्रभावी प्रवाह का ध्येय प्राप्त करने में सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करने का निदेश दिया गया है।

विनियामकों के कथन

बीमाकर्ताओं के लिए लेखांकन मानदंड शिथिल

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने उनके कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के रूप में प्रवर्धित खर्च से उद्भूत उच्चतर देयता से निपटने के लिए बीमा कम्पनियों के लिए लेखांकन मानदंडों को

शिथिल कर दिया है। बीमा और पुनर्बीमा कम्पनियों को ग्रेच्युटी के कारण अतिरिक्त देयता को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित करने की अनुमति दी गई है।

ई-बैंकिंग के सम्बन्ध में चेतावनी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी है कि यद्यपि एक नयी प्रौद्योगिकी के रूप में ई-बैंकिंग में कई एक सक्षमताएं मौजूद हैं, इसमें कई समस्याएं भी अन्तर्निहित हैं, जिनके कारण प्रयोक्ता इस प्रणाली के प्रति हिचकिचाहट अनुभव करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर. गांधी का कहना है, " ई-बैंकिंग के उपयोग से विभिन्न हितधारकों की ओर से कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इनमें सुरक्षा मूल चिंता है। चूंकि अधिक से अधिक लोगों को इस सूचना महामार्ग का अनुभव प्राप्त होता जा रहा है, सुरक्षा एवं निजता/गोपनीयता, जो इस सूचना की अभिन्न अंग होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रभावी और सुरक्षित बैंकिंग लेनदेन की व्यवस्था करने के लिए प्रौद्योगिकी से जुड़े चार ऐसे मुद्दे उपस्थित होते हैं, जिनका निराकरण आवश्यक है। महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सुरक्षा, निजता/गोपनीयता एवं अधिप्रमाणन।"

मुद्रास्फीति से निपटने की नयी नीति

सुधारात्मक उपायों के बावजूद बढ़ती मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए "चिंता का विषय" बनी हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ द्वारा यथा प्रकटित शीर्ष बैंक द्वारा 3 मई को होने वाली उसकी वार्षिक मौद्रिक नीति की पुनरीक्षा बैठक में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नये उपायों की घोषणा की जाने की संभावना है। मार्च में मुद्रास्फीति 8.98% रही, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों से लगभग एक प्रतिशत अधिक थी। श्रीमती गोपीनाथ का कहना है कि " हम अपनी नीति बहुत जल्दी ही निर्धारित कर लेंगे। मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है तथा हमारे लिए स्फीतिकारी दबावों का मूल्यांकन और उनका रेखांकन करना जरूरी है।"

वैश्विक पुनर्संतुलन के लिए घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं से अधिक बचत करना अपेक्षित होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार वैश्विक पुनर्संतुलन के लिए घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं से अधिक बचत और कम उपभोग करने की अपेक्षा होगी , जबकि बाहरी मांग पर अधिक निर्भर करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने मत व्यक्त किया है कि "अधिशेष वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन प्रयासों को प्रतिबिंबित- बचाना कम और खर्च अधिक -करना होगा,, और स्थिर वृद्धि के लिए बाहरी से घरेलू मांग पर निर्भर करना होगा। पुनर्संतुलन का प्रबन्धन करने के लिए स्थूल आर्थिक स्थिरता में रुकाचटों को न्यूनतम रखने के लिए स्थूल आर्थिक नीतियां संचालित करने हेतु साझी समझ की आवश्यकता होगी।"

उत्पादों के दूरवर्ती विपणन के लिए दिशानिर्देश

टेली-विपणन, एसएमएस, इंटरनेट के माध्यम से अथवा दूरवर्ती विपणन की किसी अन्य विधि के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री शीघ्र ही अधिक विश्वसनीय हो जाएगी। बीमा उत्पादों के दूरवर्ती विपणन के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देशों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक टेली-कालर को प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 2.71 बिलियन डालर बढ़कर 308.20 बिलियन डालर हुई

देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 8 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.717 बिलियन डालर बढ़कर 308.203 बिलियन डालर हो गई। प्रारक्षित निधिया लगातार दो सप्ताहों से बढ़ रही थीं। 1 अप्रैल को समाप्त पिछले सप्ताह में प्रारक्षित निधियों में 2.004 बिलियन डालर की वृद्धि हुई थी जिससे वे 305.486 बिलियन डालर हो गई थीं और विदेशी मुद्रा आस्तियों में 2.662 बिलियन डालर की बढ़ोत्तरी हुई और वे 277.681 बिलियन डालर हो गईं। प्रारक्षित निधियों में यह वृद्धि मुख्यत: मुद्रा पुनर्मूल्यन के कारण हुई। अमरीकी डालर मूल्यवर्ग में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में प्रारक्षति निधि में धारित यूरो, स्टर्लिंग और येन जैसी गैर-अमरीकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि अथवा मूल्यह्रास के प्रभाव का समावेश है।

मई 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.76100	0.7730	1.2640		

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.76100	0.773	1.264	1. 733	2.149
जीबीपी	1.59156	1.6520	2.1020	2.4810	2.7860
यूरो	2.09688	2.367	2.659	2.887	3.066

जापानी येन	0.56313	0.369	0.415	0.486	0.585
कनाडाई डालर	1.92817	1.948	2.256	2.523	2.753
आस्ट्रेलियाई डालर	5.59250	5.260	5.400	5.640	5.760

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**22 अप्रैर्ल 2011 के दिन**	**22 अप्रैल 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	13, 72, 801	30970506
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12, 36, 499	279,119
ख) सोना	1, 02, 572	22, 972
ग) विशेष आहरण अधिकार	20, 505	45, 629
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	13, 225	2,985

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपये की योजना विचाराधीन

आन्ध्र प्रदेश में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संकट से प्रभावित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा 1,200 करोड़ रुपये की ऋण योजना पर विचार किया जा रहा है। यह ऋण मंडल महिला समाख्याओं (MMS) को थोक वित्त मॉडेल के माध्यम से दिए जाने का प्रस्ताव है।

अन्तरराष्ट्रीय समाचार

ईसीबी ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की

यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) ने 17 देशों वाले यूरो जोन में दृढ़ होते स्फीतिकारी दबावों का सामना करने के लिए जुलाई 2008 के बाद से अपनी पहली वृद्धि की घोषणा करते हुए ब्याज दरें 25 आधार अंक बढ़ा कर 1.25% कर दी हैं। उक्त निर्णय, जिसका संकेत नीति-निर्माताओं ने काफी पहले से दे दिया था, के बाद यूरो स्थिर था। इसके पूर्व राइटर द्वारा किए गए मतसंग्रह में 80 में से चार को छोड़कर सभी अर्थशास्त्रियों ने इस वृद्धि की आशा व्यक्त की थी। यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक की न्यूनतम पुनर्वित्तीयन दरों मे यह वृद्धि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर स्वरूप केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई नीति से बाहर आने का संकेत है। मई 2009 से इसने पुनर्वित्तीयन दर को 1% के रिकार्ड स्तर पर रोक रखा था। यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक ने अपनी जमा दरों में भी 25 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए उसे 0.5% कर दिया है तथा अपनी सीमान्त उधार दरों में भी उतनी ही मात्रा में वृद्धि करते हुए उसे 2% कर दिया है।

गृह ऋणों के लिए नये उधार मानदंड

हानिकर उधार को रोकने के प्रयास के एक अंग के रूप में फेडरल रिज़र्व एक ऐसे उपाय पर अभिमत प्राप्त कर रहा है, जिसके तहत बंधक उधारदाताओं के लिए ऋण जारी करने के पूर्व उधारकर्ताओं की आय एवं कर्ज का सत्यापन करना आवश्यक हो जाएगा। उक्त प्रस्ताव डॉड-फ्रैंक अधिनियम के अधीन फेडरल रिज़र्व के नियम बनाने के एक अंग के रूप में अधिकांश निवासीय बंधकों के लिए न्यूनतम हामीदारी मानक नियत करेगा। यह इन नियमों को अधिकांश निवासीय, न कि केवल मुख्य निवास ऋणों पर लागू करते हुए विनियमन को विस्तारित कर देगा।

नयी नियुक्तियां

भारतीय स्टेट बैंक के नये अध्यक्ष

श्री प्रतीप चौधरी ने श्री ओ. पी. भट्ट की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय स्टेट बैंक के नये अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। श्री चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग में उप प्रबन्ध निदेशक थे।

विजया बैंक के नये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री एच. एस. उपेन्द्र कामत ने विजया बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (CMD) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के नये प्रमुख

आईडीबीआई बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री सुशील मुनहोत को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में यह पद जुलाई, 2010 के प्रारंभ में श्री आर. एम. मल्ला के आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किए जाने के बाद से ही रिक्त पड़ा था।

केनरा बैंक की कार्यपालक निदेशक

श्रीमती अर्चना एस. भार्गव को केनरा बैंक की नयी कार्यपालक निदेशक (ED) के रूप में नियुक्त किया गया है।

फेडरल बैंक के नये अध्यक्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.सी. सायरियाक, आईएएस (सेवानिवृत्त) की फेडरल बैंक लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है। श्री सायरियाक बैंक के निदेशक मंडल में सितम्बर, 2004 से एक निदेशक हैं।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ है	उद्देश्य
यूको बैंक	रिलाएंस सिक्योरिटीज	विस्तारशील उत्पाद समूह के एक अंग के रूप में उसके ग्राहकों को ऑनलाइन लेनदेन सुविधा प्रदान करना

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

(पिछले अंक से जारी)

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक केन्द्रीय बैंकों और अन्य सरकारी मौद्रिक संस्थाओं की उनकी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों के प्रबन्धन के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई वित्तीय सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है। वर्तमान में विविध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं सहित लगभग 140 ग्राहक इन सेवाओं का उपयोग करते हैं तथा पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय बैंकों द्वारा औसतन लगभग 4% वैश्विक विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में निवेश किया गया है। अंतर

राष्ट्रीय निपटान बैंक की वित्तीय सेवाएं दो सम्बद्ध सौदा कक्षों से प्रदान की जाती हैं, जिनमें से एक उसके बासेल स्थित प्रधान कार्यालय में है और एक उसके हांगकांग स्थित कार्यालय में है।

बैंक केन्द्रीय बैंकों की उभरती आवश्यकताओं को अधिक कारगर ढंग से पूरी करने के लिए अपनी उत्पाद श्रृंखला को निरंतर रूप से अनुकूलित करता रहता है। दर्शनी / सूचना पर खातों और निश्चित अवधि वाले खातों के अलावा बैंक ने अधिक उन्नत वित्तीय उत्पादों की एक ऐसी श्रृंखला विकसित कर रखी है जिनकी केन्द्रीय बैंक उनकी विदेशी आस्तियों पर प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से खरीद-बिक्री कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा और सोने का लेनदेन भी करता है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने सावरेन प्रतिभूतियों अथवा उच्च श्रेणी वाली आस्तियों में आस्ति प्रबन्धन सेवाओं की एक श्रृंखला भी उपलब्ध कराया है। ये सेवाएं या तो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और केन्द्रीय बैंक के बीच तयशुदा विशिष्ट पोर्टफोलियो अधिदेश के रूप में या फिर ग्राहकों को आस्तियों के एक साझे समूह में निवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाली एक निरंतर स्वरूप वाले निधि ढांचे - बीआईएस निवेश समूह (BISIP) के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा बीआईएसआईपी अम्ब्रेला के तहत दो एशियाई बॉण्ड निधियां (एबीएफ 1 और एबीएफ 2) संचालित की जाती हैं। इनमें से एबीएफ 1 का प्रबन्धन अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा और एबीएफ 2 का बाहरी निधि प्रबन्धकों के एक समूह द्वारा किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक केन्द्रीय बैंकों को आम तौर पर संपार्श्विक आधार पर अल्पावधिक ऋण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक समय-समय पर वित्तीय संकट का सामना कर रहे देशों को आकस्मिक अल्पावधिक उधार का भी समन्वय करता है। ऐसी परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक सहायता करने वाले केन्द्रीय बैंकों के एक समूह की ओर से और उनके समर्थन एवं उनकी गारंटी पर निधियां उधार देता है।

बैंक के कानून उसे सरकारों के नाम पर चालू खाते खोलने या उन्हें अग्रिम प्रदान करने की अनुमति नहीं देते। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक निजी व्यक्तियों अथवा कारपोरेट संस्थाओं से जमाराशियां नहीं स्वीकार करता अथवा उन्हें सामान्यत: वित्तीय सेवाएं नहीं प्रदान करता।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा केन्द्रीय बैंकों को प्रदान किए जाने वाले / की जाने वाली उत्पादों एवं सेवाओं की सूची निम्नानुसार है :

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने केन्द्रीय बैंकों, मौद्रिक प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की उनकी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों एवं स्वर्ण भण्डार के प्रबन्धन में सहायता करने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन की हुई बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला विकसित कर रखी है। केन्द्रीय बैंक ग्राहक पारंपरिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के पास अपने अभिनियोजनों की तीन मूलभूत विशेषताओं के रूप में सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभ की अपेक्षा करते हैं।

- सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंक ने पर्याप्त इक्विटी पूंजी और प्रचुर आरक्षित निधियों की व्यवस्था कर रखी है। यह विविधीकरण के लाभों को ऋण एवं बाज़ार जोखिमों के गहन विश्लेषण से जोड़ने पर केन्द्रित निवेश रणनीति का अनुसरण करता है।

- चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए बैंक उसके खरीदे-बेचे जाने योग्य लिखतों की उसके ग्राहकों को पड़ने वाली मामूली लागत पर पुनर्खरीद करने के लिए तैयार रहता है तथा इस प्रकार उनकी आवश्यकताओं पर शीघ्रतापूर्वक एवं लचीलेपन के साथ कार्रवाई करता है।

- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक केन्द्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा जमा की गई निधियों पर आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिलाभ प्रदान करता है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के मुद्रा बाज़ार लिखत

- सर्वाधिक परिवर्तनीय मुद्राओं में दर्शनी / नोटिस खाते और स्थिर एवं अस्थिर दर वाली जमाराशियां।

- नियत अवधि वाली जमाराशियों को विशेष आहरण अधिकार (SDR) जैसे मुद्रा समूहों में मूल्यवर्गित तथा सूचकांक -सम्बद्ध भी किए जा सकता है।

- मानक और गैर-मानक रकमें एवं परिपक्वता अवधियां।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के खरीदे-बेचे जाने योग्य लिखत

- प्रमुख मुद्राओं में जारी किए जाते हैं।

- दो रूपों में उपलब्ध होते हैं : 1 सप्ताह और 1 वर्ष के बीच वाली किसी भी परिपक्वता अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक में नियत दर वाले निवेश (FIXBIS) और 1 वर्ष से लेकर 10 वर्षों तक की तिमाही परिपक्वता अवधियों के लिए मध्यावधिक लिखत (MTIs)।

- मध्यावधिक लिखत अन्तर्निहित काल विशेषता (वापस मांगे जाने योग्य मध्यावधिक लिखत) के साथ भी उपलब्ध होते हैं।

विदेशी मुद्रा एवं सोने से सम्बन्धित सेवाएं

प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नानुसार हैं :

- हाजिर सौदे, अदला-बदली, एकमुश्त वायदा, विकल्प, विदेशी मुद्रा से सम्बद्द जमाराशियां
- विदेशी मुद्रा के एक-दिवसीय आदेश
- लोको लंदन, बर्न अथवा न्यूयार्क में उपलब्ध सुरक्षित अभिरक्षा एवं निपटान सुविधाएं
- सोने की खरीद एवं बिक्री : हाजिर, एकमुश्त, अदला-बदली अथवा विकल्प

आस्ति प्रबन्धन सेवाएं
नियत आय वाले पोर्टफोलियो निम्नानुसार हैं :

- सरकारी बॉण्डों अथवा उच्च श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतिया में निवेश की गई
- समर्पित पोर्टफोलियो अधिदेशों अथवा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक निवेश समूह (असीमित अवधि वाली निधियों) के रूप में संरचित
- या तो एकल मुद्रा या फिर विश्व की महत्वपूर्ण आरक्षित मुद्राओं में बहु-मुद्रा अधिदेशों के रूप में प्रदत्त

अन्य सेवाएं

- केन्द्रीय बैंकों को सामान्यतया संपार्श्विक आधार पर अल्पावधिक अग्रिम
- बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय सरकारी ऋणों के लिए न्यासी
- संपार्श्विक एजेन्ट के कार्य

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पट्टाकृत बैंक गारंटी

एक ऐसी बैंक गारंटी जो एक विशिष्ट शुल्क के लिए किसी अन्य पक्ष को पट्टाकृत कर दी जाती है। जारीकर्ता बैंक बैंक गारंटी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति की ऋणपात्रता के बारे में उचित कर्तव्यपरायणता बरतेगा, उसके बाद उक्त ग्राहक को तयशुदा धनराशि और तयशुदा समयावधि, जो विशिष्ट रूप से दो वर्ष से कम की होगी, में एक गारंटी पट्टे पर देगा। जारीकर्ता बैंक उक्त गारंटी को उधारकर्ता के मुख्य बैंक को भेजेगा और उसके बाद जारीकर्ता बैंक उधारकर्ता द्वारा लिये गए ऋण का गारंटीकृत रकम तक समर्थक (पोषक) बन जाता है।

शब्दावली

प्रति-□क्रीय

किसी आर्थिक अथवा वित्तीय नीति को अर्थव्यवस्था की चक्रीय प्रवृत्तियों के प्रतिकूल कार्य करने पर प्रति-चक्रीय कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रति-चक्रीय नीतियां वे होती हैं जो अर्थव्यवस्था को उस समय उपशमित कर देती हैं, जब वह तेजी पर होती है तथा अर्थव्यस्था के मंद होने पर उसे प्रेरित करती हैं।

आईआईबीएफ की गतिविधियां

स्मारक व्याख्यान

संस्थान बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से सम्बन्धित विविध विषयों पर वार्षिक आधार पर दो स्मारक व्याख्यानों का आयोजन करता है। ये व्याख्यान बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र के अद्यतन मुद्दों पर अन्तर्दृष्टियां प्रदान करते हैं।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान की शुरूआत वर्ष 1981 में की गई थी। सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स (पूर्ववर्ती भारतीय बैंकर संस्थान) से उसके संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े थे तथा वे संस्थान की शासी परिषद में 4 जुलाई, 1961 को हुई उनकी मृत्यु तक शामिल रहे। सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास मुद्रा, बैंकिंग, वित्त एवं विनिमय दरों में अत्यधिक रुचि रखते थे। संस्थान अब तक 27 स्मारक व्याख्यानों का आयोजन कर चुका है और इन व्याख्यानों के व्योरे www.iibf.org.in पर उपलब्ध हैं।

आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान

इस वार्षिक स्मारक व्याख्यान की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक के भूयपूर्व अध्यक्ष स्व. आर. के. तलवार की स्मृति में कर रखी है। संस्थान द्वारा पहले आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान का आयोजन वर्ष 2007 में मुंबई में किया गया था। संस्थान अब तक 4 व्याख्यानों का आयोजन कर चुका है और इन व्याख्यानों के व्योरे www.iibf.org.in पर उपलब्ध हैं।

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ के नये कारपोरेट कार्यालय का उद्घाटन

संस्थान ने अपना कारपोरेट कार्यालय कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल II, टॉवर I, दूसरी और तीसरी मंजिल, किरोल मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के सामने, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 में स्थलांतरित कर लिया है। नये परिसर का उद्घाटन 11 मई, 2011 को महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री करीकल शंकरनारायणन द्वारा किया गया।

11वां मानव संसाधन सम्मेलन

संस्थान ने "वृद्धि प्राप्त करने हेतु रूपांतरण का प्रबन्धन" (Managing Transformation for achieving Growth) विषय पर 11वें मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन 28 अप्रैल से 1 मई 2011 तक नैरोबी, केन्या में किया था। उक्त सम्मेलन में 25 सहभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन भाषण प्रा. एन्जुग्ना एनदुंगू, गवर्नर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ केन्या द्वारा दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम. वी. नायर ने मुख्य भाषण दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डॉ. ए. के. खंडेलवाल तथा डेलोइट के परामर्शदता श्री एस शिवराम ने उक्त विषय पर विशेष प्रस्तुतिकरण पेश किए। संगोष्ठी में हुए विचार-विमर्श से प्रतिनिधिगण अत्यधिक प्रसन्न थे।

वेबेक्स कक्षाएं

संस्थान ने 20 अप्रैल, 2011 से जेएआईआईबी / सीएआईआईबी / बेंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा के लिए वेबेक्स कक्षाएं आरंभ कर दी हैं। अभ्यर्थियों को इन वेबेक्स कक्षाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जा रही है। संस्थान ने विषय-सामग्रियों के विशेषज्ञों (SMEs) की सहायता से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए शिक्षण सामग्री (वेब कक्षाएं) विकसित कर रखी हैं। औसतन प्रत्येक खण्ड को 7 से 8 घंटों के संवाद / व्याक्यान में और सम्पूर्ण विषय को 25 से 30 घंटों में पूरा कर लिया जाता है। विषय-विशेषज्ञों ने प्रत्येक अध्याय के मूलभूत तत्वों को इस विधि से समाविष्ट कर लिया है कि अभ्यर्थी विषय को सरलतापूर्वक समझ सकें। इंन व्याख्यानों को सुनकर अभ्यर्थीगण लाभान्वित होंगे और उसके बाद यदि वे पाठ्यसामग्री का अध्ययन करता / करती हैं, तो उनके लिए उनमें शामिल उत्कृष्ट मुद्दों को समझने में

आसानी होगी। अतएव वेब कक्षाएं अभ्यर्थी की विषय पर सहज और स्वत: प्रेरित विधि से वर्चस्व बनाने में सहायता करेंगी।

- भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
  पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 /
  दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

इसके साथ ही संस्थान अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अपनी तैयारियां करते समय शैक्षणिक सहायता के रूप में समर्पित पाठ्यसामग्री, अभ्यास पुस्तिकाएं, ई-शिक्षण (लर्निंग), संपर्क कक्षाओं एवं वेबेक्स कक्षाओं की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

वार्षिक रिपोर्टें

हम सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें वर्ष 2010 की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने में समर्थ बनाने के लिए संस्थान को दिए गए अपने ई-मेल पते अद्यतन करा लें।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.89
02/04/11 06/04/11 07/04/11 09/04/11 18/04/11 20/04/11 23/04/11
25/04/11 26/04/11 27/04/11 28/04/11

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अप्रैल, 2011

- मांग दरें व्यापक रूप से श्रेणीबद्ध रहीं।
- दरें 5.88 और 6.94 के बीच मंडराती रहीं।
- मासांत में चलनिधि की स्थिति में मामूली सी सहजता परिलक्षित हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

77
72
67
62
57
52
47
42

05/04/11 06/04/11 07/04/11 08/04/11 11/04/11 15/04/11 25/04/11
26/04/11 27/04/11 28/04/11 29/04/11

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- रुपया इस वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने आर्थिक वृद्धि की संभावना का लाभ उठाने के लिए भारतीय स्टॉक (शेयरों) की धारिता में तेजी बरती। मुद्रा में इस वर्ष 1.5% और गुरुवार के क्रय-विक्रय में 0.4% का उछाल आया, जिससे वह 44..5875 प्रति डालर के स्तर पर पहुंच गई।
- स्टॉक (शेयर) अंतर्वाहों ने रुपये को पांच माह के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। रुपया 0.4% मजबूत हो कर 5 अप्रैल को 44.4175 प्रति डालर के स्तर पर पहुंच गया।
- रिफाइनरों द्वारा अधिक डालर खरीदे जाने की चर्चा के आधार पर रुपया कमजोर हुआ। सोमवार (25-04-11) के क्रय -विक्रय में रुपया 0.3% कमजोर होकर 44.49 प्रति डालर पर आ गया। जिसके परिणामस्वरूप इस माह का औसत अभिलाभ 0.2% रह गया।
- 44.21, एक ऐसे स्तर तक , जो 11 अप्रैल के बाद से देखने में नहीं आया, पहुंच कर रुपया 44.21 / 22 प्रति डालर पर रुक गया। शुक्रवार (29-04-11) को वैश्विक स्तर पर डालर की कमजोरियों और तगड़े विदेशी कारपोरेट उधारों के माध्यम से ग्रीनबैक अंतर्वाहों से उत्साहित होकर रुपया लगभग तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- माह के दौरान यूरो में निरंतर रूप से 4.47% की मूल्यवृद्धि हुई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

19800
19700
19600
19500
19400
19300
19200
19100
19000

05/04/11 06/04/11 08/04/11 11/04/11 15/04/11 25/04/11 26/04/11 27/04/11 28/04/11 29/04/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।
संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मई, 2011